



2026:AHC: 21031

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट बी संख्या- 182/2026

ओंकार गुप्ता

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 7 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : देवी प्रसाद त्रिपाठी, मनीष कुमार पाण्डेय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, दीपक गौर

न्यायालय संख्या-54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

- 1- पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
- 2- प्रस्तुत रिट याचिका मुख्य रूप से निम्नलिखित अनुतोषों की मांग करते हुए दायर किया गया है:-

"I- परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो प्रत्यर्थी संख्या 2 / उप निदेशक चकबंदी, झाँसी को निर्देशित करे कि वह इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित एक निश्चित अवधि के भीतर पुनरीक्षण संख्या 48 वर्ष 2025 (ओंकार गुप्ता बनाम हरिओम व अन्य) / उक्त पुनरीक्षण में याचिकाकर्ता द्वारा दायर स्थगन आवेदन का निस्तारण करे।

II- परमादेश की प्रकृति एक रिट, आदेश या निर्देश में जारी किया जाए, जो प्रत्यर्थी संख्या 3 को निर्देशित करे कि प्रत्यर्थी संख्या 7 द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध दिए गए आवेदन दिनांक 14.12.2023 (अनुबंध संख्या 21) पर पुनरीक्षण संख्या 48 वर्ष 2025 (ओंकार गुप्ता बनाम हरिओम व अन्य) के लंबित रहने के दौरान कोई आदेश पारित न किया जाए।"

- 3- विद्वान स्थायी अधिवक्ता के साथ-साथ गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपरोक्त वाद को शीघ्रता से निर्णीत करने का निर्देश जारी किया जाता है।
- 4- इस परिप्रेक्ष्य में, इस वाद को लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। इसलिए, यह न्यायालय रिट याचिका में वर्णित वाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, वर्तमान रिट

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करना उचित समझता है। उप निदेशक चकबंदी (प्रत्यर्थी संख्या 2) को निर्देशित किया जाता है कि वह संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, विधि के अनुसार एक सकारण और सुस्पष्ट आदेश के माध्यम से, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिमानतः **छह माह** की अवधि के भीतर उक्त वाद का कड़ाई से विधि के अनुसार शीघ्रता से निस्तारण करें।

5- उपरोक्त निर्देश के साथ, यह याचिका अंतिम रूप से **निस्तारित** की जाती है।

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

30 जनवरी, 2026

वी.आर.